F.No. A.12018/01/2016-MH-II
FTS-3161662
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Hospital-I)

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated: 8th Nov" 2019

To

The Manager,
Government of India Press,
Maya Puri, Ring Road,
New Delhi.

Subject: <u>Amendment/Framing of Recruitment Rules for the Post of "Technical Officer (Medical Laboratory Technology) and Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology)" in Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi: Reg.</u>

Sir,

I am directed to send herewith a copy of the Recruitment Rules each of Hindi and English version, for the post of **"Technical Officer** (Medical Laboratory Technology)" **and Chief Technical Officer** (Medical Laboratory Technology)" in Kalawati Saran Children's, Hospital New Delhi, duly vetted by the Ministry of Law and Justice and to request you that the same may kindly be notified in the Gazette of India ordinary and 50 (Fifty) copies of the same may kindly be sent to this Ministry.

2. Soft copies of the RRs in Hindi and English have already been forwarded to Govt. of India Press, Maya Puri at their official email ID through hospital1section@gmail.com.

3. This issues with the approval of Joint Secretary (H).

Yours faithfully,

(G.P. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23061521

Encl: as above
Copy to:
The Medical Superintendent, Kalawati Saran Childrens's Hospital, New Delhi

D:\2019 RRs\KSC HOSPITAL\NOV\07.11.2019

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . ...:- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	100 % प्रोन्नति द्वारा।

डा. [signature]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
कलावती सरन बाल अस्पताल के वेतन मेट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47600-151100) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) में से प्रोन्नत किया जाएगा, जिन्होंने दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित क्षेत्र की प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य 4. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल – सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य 3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[ए.12018/01/2016-एमएच-II]

(जी. पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the................,2019.

NOTIFICATION

G.S.R.....- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Kalawati Saran Children's Hospital of New Delhi namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Recruitment Rules, 2019.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.- The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, The Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Technical Officer (Medical Laboratory Technology),	01* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non -Ministerial.	Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100-177500)	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age : Not applicable Education Qualifications: Not Applicable	Two years	100% by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from the post of Senior Technical Officer (Medical Laboratory Technology), Kalawati Saran Children's Hospital with two years regular service in level-8 of the Pay Matrix (47600-151100) and have successfully completed two weeks training in a laboratory in the field as prescribed by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) Consisting of : 1.Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2.Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Member; 3.Deputy Director General in charge of Medical Hospital Division , Directorate General of Health Services -Member; 4. Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital -Member. Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) Consisting of : 1. Joint Secretary , Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; 2. Deputy Director General in charge of Medical Hospital , Directorate General of Health Services -Member; 3. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Member.	Consultation of Union Public Service Commission is necessary.

[A. 12018/01/2016-MH II]

(G.P. Samanta)
Under Secretary to the Government of India.